

कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर, म0प्र0

कमांक /1034 /स्थापना /2 /2019

इन्दौर, दिनांक 29-8-2019

संशोधित आदेश

कार्यालयीन आदेश कमांक 1006/स्थापना/2/2019 दिनांक 22.8.2019 द्वारा जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर कलेक्टर के मध्य कार्यविभाजन जारी किया गया था। जिसमें लिपिकीय त्रुटीवश कुछ थानों एवं शाखाओं नाम छुट जाने से पुनः संशोधित कार्य विभाजन निम्नानुसार है :-

| कं. | अधिकारी का नाम | कार्य का विवरण |
|-----|---|--|
| 1 | श्री दिनेश जैन (IAS) अपर कलेक्टर इंदौर | <p>(A) राजस्व प्रकरणों का निराकरण— अनुभाग राज, महू</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959, पंचायतराज अधिनियम, नगर पंचायत नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपील, निगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण (प्रत्येक 1 व 2 प्रकरण) 2. राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत कार्यवाही 3. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत जिला कलेक्टर को प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अपने प्रभार क्षेत्र के प्रकरणों का निराकरण। 4. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व देवस्थान तथा वक्फ संपत्ति तहत कार्यवाही 5. अपने अनुभाग अन्तर्गत म0प्र0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत सेवा का निराकरण समय सीमा में पदाभिहित अधिकारी के द्वारा न करने की स्थिति में प्रथम अपील के दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा। 6. अपने अनुभाग अंतर्गत बी.पी.एल. सर्वे सूची में नाम दर्ज कराए जाने हेतु एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु तथा दस्तावेज की नकल हेतु प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्राप्त अपील प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया जावेगा। 7. प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूतियों का हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण (प्रभार के थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाली संपत्ति रूपये 5.00 करोड़ से कम) 8. अनुभाग क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी एवं प्रभार की शाखाओं के सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे। <p>(B) दाण्डिक कार्य — अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के रूप में सौंपे गये थाना क्षेत्रों की कानून व्यवस्था के कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे। थाना क्षेत्र— थाना महू, किशनगंज, सिमरोल, मानपुर, बडगोंदा, राउ. व्दारकापुरी, चन्दन नगर, अन्नपूर्णा, राजेन्द्र नगर, ।</p> <p>(C) विभाग—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1—राजस्व, स्थापना शाखा 2—लेखा शाखा 3—नजारत शाखा 4—वरिष्ठ लिपिक शाखा 5—सहायक अधीक्षक (सामान्य) 6—अल्प बचत/राज्य लाटरी/संस्थागत वित्त/ब्रिस्क 7—सूचना का अधिकार 8—शिकायत शाखा 9—सालवेन्सी और नादारी जांच |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>10-सदर वासिल बाकी नवीस, जौ0एम0एफ0सी0</p> <p>11-पी.जी.आर.,लोकायुक्त, प्रभारी मंत्री, अन्य मंत्री एवं संभाग आयुक्त से प्राप्त शिकायत एवं जनशिकायत निवारण</p> <p>12-कलेक्टोरेट हेल्प लाईन/सहभागिता समिति (समाधान समिति)</p> <p>13-जिला कोषालय/नगर कोषालय</p> <p>15-सचिव, भारतीय रेडक्रास सोसायटी जिला शाखा इन्दौर</p> <p>16-विभागीय जाच</p> <p>17-भारतीय नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही/जांच</p> <p>(D) अन्य प्रभार-</p> <p>1-कालोनी सैल से संबंधित जिले के संपूर्ण कार्य(लायसेंस, विकास की अनुमति, विकास कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के मकानों के आवंटन से संबंधित कार्य।</p> <p>(E) वित्तीय अधिकार-</p> <p>1-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि / विभागीय भविष्य निधि अग्रिम/आंशिक आहरण की स्वीकृति की कार्यवाही।</p> <p>2-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के 30 दिवस के अर्जित अवकाश, यात्रा अवकाश, की स्वीकृति तथा वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति।</p> <p>3-रूपये 50,000/- के वित्तीय स्वीकृति के अधिकार (विधुत, फोन बिल, अन्य कार्यालय व्यय एवं समस्त शासकीय देयक)</p> <p>4-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गये कार्य।</p> |
| 2 | श्री कैलाश वानखेडे (रा.प्र.से.) अपर कलेक्टर इंदौर | <p>(A) राजस्व प्रकरणों का निराकरण- अनुभाग कनाडिया, भिचौली हप्सी,</p> <p>1 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959, पंचायतराज अधिनियम, नगर पंचायत नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपील, निगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण (प्रत्येक 1 व 2 प्रकरण)</p> <p>2. राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत कार्यवाही</p> <p>3. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अंतर्गत जिला कलेक्टर के प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अपने प्रभार क्षेत्र के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>4. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व देवस्थान तथा वक्फ संपत्ति तहत कार्यवाही</p> <p>5. अपने अनुभाग अन्तर्गत म0प्र0लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत सेवा का निराकरण समय सीमा में पदाभिहित अधिकारी के द्वारा न करने की स्थिति में प्रथम अपील के दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।</p> <p>6. अपने अनुभाग अंतर्गत बी.पी.एल. सर्वे सूची में नाम दर्ज कराए जाने हेतु एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु तथा दस्तावेज की नकल हेतु प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्राप्त अपील प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया जावेगा।</p> <p>7 प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूतियों का हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण(प्रभार के थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाली संपत्ति रूपये 5.00 करोड़ से कम)</p> <p>8 अनुभाग क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी एवं प्रभार की शाखाओं के सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे।</p> <p>(B) दाण्डिक कार्य - अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के रूप में सौंपे गये थाना क्षेत्रों की कानून व्यवस्था के कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे। थाना क्षेत्र- थाना विजयनगर, एम0आय0जी0, लसुडिया, खजराना, तिलक नगर, कनाडिया संयोगितागंज, पलासिया, छोटी ग्वाल टोली, आजाद नगर, तेजाजीनगर</p> <p>(C) विभाग-</p> <p>1-सहायक अधीक्षक (राजस्व)</p> <p>2-प्रतिलिपि</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>3-पेयजल शाखा एव परिवहन (ग्रामीण) राहत शाखा 4-हिन्दु मैरिज एक्ट एवं विशेष विवाह अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण 5- भारत निर्वाचन शाखा 6-स्थानीय निर्वाचन शाखा 7-स्टेशनरी/ लायब्रेरी/ फार्म्स 8-आवक/ जावक 9-जिला बिमारी सहायता, स्वास्थ्य अर्बन हेल्थ, रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय 10-चरित्र सत्यापन 11-मानव अधिकार शाखा 12-ज्युडिशियल (जे0सी0) शाखा 13-नेशनल ग्रीन ट्रियुबनल 14 खनिज शाखा 15 संस्कृति/ पुरातत्व एवं पर्टयन प्रकोष्ठ</p> <p>(D)नोडल अधिकारी- 1-नोडल अधिकारी व्यापम (नियुक्त संबंधी कार्य) 2-जिला परामर्शदात्री समिति 3-सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन (विज्ञापन प्रतिबंध, व्यापार, वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के अर्न्तगत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली 2008 के अर्न्तगत कार्यवाही करने के लिए अन्य प्रभारी।</p> <p>(E) वित्तीय अधिकार- 1-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि/ विभागीय भविष्य निधि अग्रिम/ आंशिक आहरण की स्वीकृति की कार्यवाही। 2-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के 30 दिवस के अर्जित अवकाश, यात्रा अवकाश, की स्वीकृति तथा वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति। 3-रूपये 50,000/- के वित्तीय स्वीकृति के अधिकार (विधुत, फोन बिल, अन्य कार्यालय व्यय एवं समस्त शासकीय देयक) 4-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गये कार्य।</p> |
| <p>3 श्री पवन जैन (रा.प्र.से.) अपर कलेक्टर इंदौर</p> | <p>(A) राजस्व प्रकरणों का निराकरण- अनुभाग सांवेर, देपालपुर, खुडैल 1 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959, पंचायतराज अधिनियम, नगर पंचायत नगरपालिका अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तुत अपील, निगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण (प्रत्येक 1 व 2 प्रकरण) 2. राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत कार्यवाही 3. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अर्न्तगत जिला कलेक्टर को प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अपने प्रभार क्षेत्र के प्रकरणों का निराकरण। 4. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व देवस्थान तथा वक्फ संपत्ति तहत कार्यवाही 5. अपने अनुभाग अर्न्तगत म0प्र0लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अर्न्तगत सेवा का निराकरण समय सीमा में पदाभिहित अधिकारी के द्वारा न करने की स्थिति में प्रथम अपील के दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा। 6. अपने अनुभाग अर्न्तगत बी.पी.एल.सर्वे सूची में नाम दर्ज कराए जाने हेतु एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु तथा दस्तावेज की नकल हेतु प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्राप्त अपील प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया जावेगा। 7 प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूतियों का हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण(प्रभार के थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाली संपत्ति रूपये 5.00 करोड़ से कम) 8 अनुभाग क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी/ दंडाधिकारी एवं प्रभार की शाखाओं के</p> |